"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 जून 2017 — आषाढ़ 8, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-38/2017/वाक/पांच (66) . — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में,-

1. नियम 8 में संशोधन :-

   (1) उप-नियम (5) में शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "तीन माह" प्रतिस्थापित किए जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

क्रमांक एफ 10-38/2017/वाक/पांच (66). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-38/2017/वाक/पांच (66), दिनांक 28-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th June 2017

NOTIFICATION

No. F 10-38/2017/CT/V (66). — In exercise of the powers conferred by Section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment, in the Chhattisgarh Value Added Tax Rule, 2006 from the date of publication in Official Gazette, namely :-

AMENDMENT

In the said rule,-

1. Amendment in Rule 8 :-

(1) Sub-rule (5) for the words "thirty days" the words "three month" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.